न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 22/2012 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री गुजरमल साहू पुत्र श्री पन्ना लाल साहू विक्रेता एवं मालिक मैसर्स पन्ना लाल नरेश कुमार तिकुट्या बाजार बसवा जिला दौसा।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पार्टनर मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर।
3. श्रीमति गुनमाला पार्टनर मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर।
4. श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा मालिक मैसर्स स्पेक्ट्रो ओडियो विजन प्राईवेट लिमिटेड एच 110 रिको इन्डस्ट्रियल एरिया हीरावाला कानोता जिला जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 स्वयं उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: आदेश :– दिनांकः–02.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.06.2012 को समय 04:00 पी.एम. पर संयुक्त दल के साथ तिकुट्या बाजार बसवा जिला दौसा स्थित मैसर्स पन्ना लाल नरेश कुमार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में करीबन 12 पैक बोतल में 700 एमएल पैकिंग नेचुरल शर्बत गुलाब श्री ओसवाल ब्राण्ड कॉच की बोतलों में पैक कागज के पैकिट में आम जनता को बेचने हेतु रखी हुयी थी में मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 पैक बोतले (पैकिट) मूल ही जॉच हेतु नमूने के लिये खरीदी। जिसकी कीमत अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं नजदीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा शर्बत गुलाब श्री ओसवाल की 4 पैकिटों पर लेबल चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक एजी–440 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 ए.जी.–440 नियमानुसार चारों नमूना पैकिटों पर नीचे से

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो आवे। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर क्रम संख्या 1 एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। अलग से फार्म सं0 5 ए की प्रति क्रम संख्या 2 पर अंकित मैसर्स के यहां अलग से जरिये डाक भिजवायी।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता एमपीएचडब्ल्यू मुख्यालय द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता एमपीएचडब्ल्यू मुख्यालय द्वारा जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/12/5122–23 दिनांक 13.07.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1790/एक्ट/2012/591 दिनांक 09.07.2012 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ शर्बत गुलाब श्री ओसवाल मिसब्राण्ड पाया गया है जो एफएसएसए नियम 2011 की उपधारा (2) (II) का उल्लंघन है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1790/एक्ट/2012/591 दिनांक 09.07.2012 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ शर्बत गुलाब श्री ओसवाल के लेबल पर **''contains permitted synthetic colours & added flavour and permitted class II preservative''** लिखा हुआ था। परन्तु लेबल पर **class name of flavor (specific name)** या उसकी पहचान का अन्तर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान का नम्बर नहीं लिखा गया है। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ शर्बत गुलाब श्री ओसवाल मिसब्राण्ड पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लेने व पैक करने की कार्यवाही विधि पूर्वक नहीं की गई है। सैम्पल लेने से पूर्व प्रार्थी/विक्रेता को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ऐसी सूरत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है एवं निरस्तनीय है। अतः निवेदन है कि उक्त आवेदन पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 22/2012 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज0 जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1790/एक्ट/2012/591 दिनांक 09.07.2012 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ शर्बत गुलाब श्री ओसवाल का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ शर्बत गुलाब श्री ओसवाल मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा मालिक मैसर्स स्पेक्ट्रो ओडियो विजन प्राईवेट लिमिटेड एच 110 रिको इन्डस्ट्रियल एरिया हीरावाला कानोता जिला जयपुर पर 4,000/–(अक्षरे चार हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 02.01.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 78–83
दिनांकः– 02.01.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गुजरमल साहू पुत्र श्री पन्ना लाल साहू विक्रेता एवं मालिक मैसर्स पन्ना लाल नरेश कुमार तिकुट्या बाजार बसवा जिला दौसा।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पार्टनर मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर।
5. श्रीमति गुनमाला पार्टनर मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर।
6. श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा मालिक मैसर्स स्पेक्ट्रो ओडियो विजन प्राईवेट लिमिटेड एच 110 रिको इन्डस्ट्रियल एरिया हीरावाला कानोता जिला जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official